Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar Raipur – 492001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax 4073553
Website www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in

NOTICE FOR PUBLIC HEARING ON TARIFF PETITION & ADDITIONAL CAPITAL INVESTMENT PLAN PETITION

The State-owned power companies i.e. Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. (CSPTCL), Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd. (CSPDCL) & Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd. (CSPGCL) have submitted petitions for determination of tariff & true-up and CSPDCL has also filed petition for approval of additional capital investment plan under Section 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003 (the Act) and Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to read Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021. Also, Chhattisgarh State Load Despatch Center (SLDC) has submitted petition under Section 32(3) of the Act for determination of fee charges for FY 2023-24 and true-up of FY 2021-22. The details of aforesaid petitions are as given in table below:

S. No.	Petition No.	Petitioner	In the matter of
1.	94 of 2022	CSPTCL	Determination of ARR for FY 2023-24, True up for FY 2021-22 and transmission tariff for FY 2023-24
2.	95 of 2022	CSPDCL	Determination of ARR for FY 2023-24, True up for FY 2021-22 and retail tariff for FY 2023-24
3.	100 of 2022	CSLDC	Determination of ARR for FY 2023-24, True up for FY 2021-22 and SLDC charges for FY 2023-24
4.	102 of 2022	CSPGCL	True up for FY 2021-22
5.	04 of 2023	CSPDCL	Approval of Additional Capital Investment Plan for FY 2022-23

2. These petitions are available on the Commission's website i.e www.cserc.gov.in. Petitioners have published public notice in newspapers for inviting objections/suggestions on the above petitions. The Commission has decided to hold a public hearing on these petitions in the Commission's court room at Raipur on the dates and times specified below:

Date	Time of hearing	Consumer category
21/02/2023 Tuesday	**11:00 AM to 1:30 PM**	**Agriculture & Agriculture allied activities**
	2:30 PM to 3:30 PM	**Non-Domestic**
	3:30 PM to 5:30 PM	**Domestic**
22/02/2023 Wednesday	**11:00 AM to 1:30 PM**	**All HV**
	2:30 PM to 4:30 PM	**L.V. Industry**
	4:30 PM to 5:30 PM	**Local bodies, Municipal Corporation and Trade Union and others**

3. Interested parties may appear before the Commission as per above schedule to present objections/suggestions. Any person who wishes to make presentations during the hearing must give advance notice to the Commission's Secretary.

Secretary

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्र. 0771-4073568 फैक्स 4073553
वेबसाईट www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in

टैरिफ एवं अतिरिक्त पूँजीगत निवेश योजना की याचिकाओं पर जन–सुनवाई हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 86(1)(a) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अन्तर्गत राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियाँ छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL), छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL) एवं छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्या. (CSPGCL), द्वारा ट्रू–अप एवं टैरिफ के निर्धारण एवं CSPDCL द्वारा अतिरिक्त पूँजीगत निवेश योजना हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 32(3) के अन्तर्गत छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा ट्रू–अप एवं प्रभार के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण
1.	94/2022	CSPTCL	वर्ष 2023-24 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन, वर्ष 2021-22 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2023-24 हेतु ट्रान्समिशन टैरिफ निर्धारण
2.	95/2022	CSPDCL	वर्ष 2023-24 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन, वर्ष 2021-22 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2023-24 हेतु खुदरा (रिटेल) टैरिफ निर्धारण
3.	100/2022	CSLDC	वर्ष 2023-24 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन, वर्ष 2021-22 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2023-24 हेतु SLDC प्रभार का निर्धारण
4.	102/2022	CSPGCL	वर्ष 2021-22 का ट्रू–अप
5.	04/2023	CSPDCL	वर्ष 2022-23 तक के लिए अतिरिक्त पूँजीगत निवेश योजना का अनुमोदन

2. ये याचिकाएं आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु उपरोक्त याचिकाओं के सार को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। आयोग द्वारा इन याचिकाओं पर आयोग के कोर्ट रूम में नीचे विनिर्दिष्ट तिथियों एवं समय पर जन–सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है:–

दिनांक	सुनवाई का समय	उपभोक्ता श्रेणी
21/02/2023 (मंगलवार)	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक	गैर–घरेलू
	दोपहर 3:30 बजे से सांयः 5:30 बजे तक	घरेलू
22/02/2023 (बुधवार)	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	समस्त उच्चदाब
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक	निम्नदाब उद्योग
	दोपहर 4:30 बजे से सांयः 5:30 बजे तक	स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन एवं अन्य

3. इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्तियां/सुझाव उक्त समय–सारिणी के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण देना चाहता है तो आयोग के सचिव को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा।

सचिव